



सबसे तेज प्रयागराज

सब पर नजर, सटीक खबर

नगर संस्करण



hpshukla50@gmail.com

शुक्रवार, 21 जून 2024

वर्ष: 01, अंक: 96, पृष्ठ: 8, मूल्य: 2 रु.

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई काउंसिलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात

केंद्र-एनटीए को नोटिस, अब 8 जुलाई को सुनवाई

एजेंसी नारलदा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने

फिर दोहराया कि वह काउंसिलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा है। नोटिस नोट-यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन

याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की।



नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग मेंडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 20 छात्रों की ओर से दायर

याचिकाओं में से एक में एनटीए और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। परीक्षा से संबंधित अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने 18 जून को

कहा था कि परीक्षा कराने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भले ही किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत की लापरवाही हुई हो, इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए।

सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी मांगा था जवाब

नीट-यूजी 2024 को लेकर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले साह परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा था। परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65फीसदी आरक्षण को बताया असंवैधानिक

एजेंसी पटना। राज्य की राष्ट्रीय जनतातांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। लेकिन अब, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। नीतीश सरकार को लगा

बड़ा झटका कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई की दौरान



पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं

मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी।

सुखबीर सिंह बादल के बिना अकाली दल नहीं चल सकता : सुखजिंदर सिंह रंधावा

बटाला। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा पहली बार फतेहगढ़ चूड़ियों के वकील नवतेज सिंह रंधावा और आरती भुपिंदर सिंह बिट्टू खैरिया के आवास पर पहुंचे। जहां उनका कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया।

इस मौके पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। उन बदलावों में से एक है जो पंजाब पुलिस को दंडित कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पक्ष में बोलते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल के बिना अकाली दल नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि जब तक सुखबीर सिंह बादल के आसपास का घेरा नहीं टूटेगा तब तक सुखबीर सिंह बादल सफल नहीं हो सकते। डेरा बाबा नानक जिमी चुनाव के बारे में बात करते हुए रंधावा ने कहा कि पार्टी को डेरा बाबा नानक से कांग्रेस उम्मीदवार तय करना है और जो भी आएगा वह कांग्रेस को जिताएगा।

दिल्ली में प्रचंड गर्मी और मौते

एक ही दिन में 142 शवों का दाह संस्कार, कोरोना के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा

एजेंसी नई दिल्ली। इन दिनों राजधानी दिल्ली भयानक गर्मी से भूख रही है। लू के गर्म थपेड़ों की मार झेल रही दिल्ली में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। इस बीच लोगों के मरने वालों मौतों का आंकड़ा डराने वाला है।

निगम बोध घाट पर हुए दाह संस्कार का पिछले एक हफ्ते का डाटा

14 जून - 43
15 जून - 53
16 जून - 70
17 जून - 54
18 जून - 97
19 जून - 142 (रात 12 बजे तक) ज्यादा आंकड़ा



किया गया।

दिल्ली के निगम बोध घाट पर इस साल जून महीने में अभी तक 1101

शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। 2022 जून में हुए 1570 शवों के दाह संस्कार हुए थे, इस बार

आंकड़ा इससे पर जाने की आशंका जताई जा रही है। जून 2021 में 1210, जून 2022 में 1570 और जून 2023 में 1319 शवों का अंतिम संस्कार किया गया था।

दिल्ली में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने 55 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के सफरदरजा केंद्र के अनुसार 18 जून की रात न्यूनतम पारा सामान्य से 8 डिग्री अधिक 35.2 डिग्री दर्ज किया गया जो 1969 के बाद सर्वाधिक है। 23 मई, 1972 को न्यूनतम पारा 34.9 डिग्री रहा था।

उपमुख्यमंत्री ने तेजस्वी को घेरा, पूछा- यादवेंदु से क्या संबंध है, स्पष्ट करें नेता प्रतिपक्ष

एजेंसी पटना। नीट यूजी पेपरलीक केस में सियासत गरमाने लगी है। फिर से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला है। गुरुवार दोपहर पत्रकारों के सामने उन्होंने कुछ कॉल डिटेल्स दिखाए और तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पेपरलीक केस में गिरफ्तार हुए सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का तेजस्वी और लालू यादव से क्या संबंध है? यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि एक मई को तेजस्वी यादव के आठ सचिव प्रीतम

कुमार के मोबाइल से रात्रि नौ बजकर सात मिनट में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल पर

एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के कमरे की बुकिंग के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप ने संज्ञान नहीं लिया। चार मई की सुबह प्रीतम कुमार के मोबाइल पर फिर प्रदीप कुमार को कॉल किया गया। फिर से



सिकंदर के नाम से कमरे की बुकिंग की बात की गई। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि तेजस्वी यादव को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रीतम कुमार अभी भी उनके पीएस हैं और उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि सिकंदर प्रसाद यादवेंदु कौन हैं? जब लालू प्रसाद यादव रांची में जेल गए थे, तब सिकंदर प्रसाद यादवेंदु हुआ करते थे। लालू की सेवा में वह रहते थे। सिकंदर सिंचाई विभाग में जेई थे। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि वह लोगों के भविष्य के साथ खेलते हैं जब वे सत्ता में होते हैं तो घोटाले करते हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

सत्यम् शिवम् शुभम् ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स

College Code : 01083 टिकरी, कौड़िहार, प्रयागराज

B.A. हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्रा० इतिहास, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र राजनीति विज्ञान, उर्दू, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र

M.A. हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्रा० इतिहास

B.Sc. Agriculture B.Com/M.Com

B.Sc./M.Sc./D.El.Ed. (BTC) B.Pharma/D.Pharma

LL.B. B.A. L.L.B (प्रस्तावित) I.T.I. (इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा)

Admission Open

प्रवेश प्रारम्भ

छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध **Mob. 9451181332, 9956930129**



संजय शुक्ल प्रबंधक

